भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 71

मंगलवार, 25 जुलाई,2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा समूह सहकारी समितियों से धन वापसी

†*71. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों को धन वापसी का आदेश दिया है**;**

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहारा-सेबी रिफंड खाते में 24,000 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त पड़ी राशि में से 5,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करा दिए हैं**;**

(ग) यदि हां**,** तो आवेदन करने वाले और सरकार से धन वापसी प्राप्त करने वाले निवेशकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है तथा गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए धन वापसी के आवेदन के निपटान के लिए औसत समय सीमा, हेल्पलाइन नंबर, नोडल कार्यालय और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश करने वाले गरीब और वंचित लोगों के छोटे निवेशों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 25.07.2023 को उत्तरार्थ "सहारा समूह सहकारी समितियों से धन वापसी" के संबंध में श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव एवं डॉ. सुकान्त मजूमदार, माननीय संसदों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 71 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण:

(क) से (घ): रिट याचिका (सि.) नं. 191/2022 – पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ एवं अन्य के मामले में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया कि:

i. "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में जमा 24,979.67 करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए का अंतरण सीआरसीएस को किया जाए जो इस राशि को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमाराशियों के विरुद्ध संवितरित करेंगे, जो प्रामाणिक जमाकर्ताओं को सर्वाधिक पारदर्शी रीति से तथा समुचित पहचान पर और उनके जमा व उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनके बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा ।

ii. इस संवितरण का पर्यवेक्षण और निगरानी न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी द्वारा श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जाएगा । भुगतान की रीति व पद्धति न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता की परामर्श से सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

iii. 5000 करोड़ रुपए की उपर्युक्त धनराशि में से सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित प्रमाणिक जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली राशि शीघ्रता के साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की दिनांक से अधिकतम नौ महीने में किया जाए । तत्पश्चात, शेष राशि को "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में पुन: अंतरित कर दिया जाए ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में, "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में से 5000 करोड़ रुपए का अंतरण 'सहारा-सीआरसीएस रिफंड खाता' में किया गया। तदनुसार, सहारा समूह की चार सहकारी समितियों, नामत: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने दावों को जमा करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. (SDMS) के माध्यम से "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है । संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल है । पोर्टल में आवश्यक निरीक्षण और संतुलन समाविष्ट किए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल प्रमाणिक जमाकर्ताओं की वैध जमाराशियों का ही रिफंड हो सके । इस पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 18.07.2023 को हुआ । सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in और https://mocrefund.crcs.gov.in. के माध्यम से इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है ।

इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगइन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर तथा अपने जमा व दावों के साक्ष्य जैसे अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपने रिफंड का दावा जमा कर सकते हैं । ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज दावों पर विचार किया जाएगा । निधी की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन दावा दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर, उनका भुगतान

उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा और उन्हें SMS/पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा । इस पोर्टल से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को फायदा होगा जिन्हें लम्बे समय से उनके वैध बकाए का रिफंड नहीं किया गया है । जमाकर्ताओं के मार्गदर्शन/सहायता हेतु पोर्टल पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) सहित हेल्पलपाइन नंबर और उपयोगकर्ता मैनुअल उपलब्ध है । जमाकर्ता देश भर के लगभग 5.5 लाख कॉमन सेवा केन्द्रों (CSCs) के माध्यम से भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं ।

(ङ): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS), 2002 को 97वां संविधान संशोधन के अनुरूप करने और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में सुधार, सदस्यों के हितों की रक्षा, शासन सुधार और पारदर्शिता में वृद्धि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधित करने का विधेयक संसद में पुर:स्थापित किया गया है । बहुराज्य सहकारी समितियों को सशक्त करने और उनकी निगरानी हेतु केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को भी कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ।

******